भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह,विलिंग्डन आईलेंड,कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in **Control Room: 0484-2666422**
E-mail: cochincustoms@nic.in **Fax: 0484-2668468**

फाइल संख्या File No.: CUS/BRC/MPR/1/2020-DBK/REF -O/o COMMR-CUS-COCHIN

दिनांक Dated:- 09.01.2023

सार्वजनिक सूचना संख्या Public Notice No-01/2023

विषय: - प्रतिअदायगी का दावा पेश किए गए तथा वितरित किए गए शिपिंग बिलों के लिए निर्यात आय की वसूली की निगरानी - के संबंध में।

Sub: - Monitoring of realization of export proceeds for shipping bills for which drawback has been claimed and disbursed -reg.

निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकरों, निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार के सभी सदस्यों का ध्यान निर्देश फाइल संख्या 609/59/2012-डी बी के दिनांक 27.11.2015 की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसमें सभी शिपिंग बिलों के लिए ई डी आई में निर्यात आय की वसूली की निगरानी के लिए ऑनलाइन आर बी आई-बी आर सी मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य था, जहाँ 01.04.2014 को या उसके बाद एल ई ओ प्रदान किया गया था।

Attention of exporters, custom brokers, export promotion councils and all members of trade is invited to the instruction F. No. 609/59/2012-DBK dated 27.11.2015, wherein it was mandated to use the online RBI-BRC Module for monitoring of realization of export proceeds in EDI for all Shipping Bills where LEO was granted on or after 01.04.2014.

2. यह दोहराया जाता है कि आर बी आई-बी आर सी मॉड्यूल उन सभी शिपिंग बिलों के लिए प्रभावी है, जिनके लिए एल ई ओ (लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर) की तारीख 01.04.2014 को या उसके बाद है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुसार, निर्यात आय की वसूली निर्यात की तारीख से 9 महीने की अवधि के भीतर होनी चाहिए, जब तक कि यह अवधि आरबीआई द्वारा बढ़ाई नहीं जाती। ऐसे मामलों में जहाँ निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात आय की वसूली नहीं की गई है वहाँ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75ए (2) के अनुसार लागू ब्याज के साथ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रतिअदायगी नियम, 2017 (01.10.2017 से पहले सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियम, 1995 के नियम 16ए) के नियम 18 के तहत वितरित प्रतिअदायगी वसूली योग्य हो जाती है।

It is reiterated that the RBI-BRC Module is effective for all the Shipping Bills for which LEO (Let Export Order) date is on or after 01.04.2014. As per the Foreign Exchange Management Act, 1999, realization of export proceeds should happen within a period of 9 months from the date of export, unless this period is extended by the RBI. In cases where the export proceeds have not been realized within the stipulated period, the drawback disbursed becomes recoverable under

Rule 18 of the Customs, Central Excise Duties Drawback Rules, 2017 (Rule of theCustoms, Central Excise Duties & Service Tax Drawback Rules, 1995 to 01.10.2017) along with applicable interest as per Section 75A (2) of Customs Act, 1962.

3. आर बी आई-बी आर सी मॉड्यूल पर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अनि अवधि पूरी होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में शिपिंग बिलों के लिए निर्यात आय की वसूली की गई हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे सभी मामलों में, ऐसे निर्यातों से संबंधित शुल्क वापसी उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार लागू ब्याज के साथ वसूल किए जाने योग्य है।

Analysis of the data available on the RBI-BRC module indicates that fo very large number of shipping bills, export proceeds have not been realized e after completion of mandated period. As a consequence in all such cases, drawback amount relatable to such exports is liable to be recovered along w applicable interest in terms of the afore-cited provisions.

4. इस संदर्भ में 01.04.2014 से 31.12.2021 तक की अवधि के शिपिंग बिलों का विवरण ई ओ तिथि के आधार पर जहाँ निर्यात आय या तो नहीं वसूले गए हैं या आंशिक रूप से वसूले है, वेबसाइट http://www.cochincustoms.gov.in पर अनुलग्नक के रूप में स्प्रेडशीट प्रारू उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुबंध- I में शिपिंग बिल शामिल हैं जहाँ वसूली 'शून्य' है, अनुबंध में ऐसे शिपिंग बिल शामिल है जहाँ वसूली में कमी एफओबी मूल्य के 12.5% से अधिक है अनुबंध-III में वे शिपिंग बिल शामिल हैं जहाँ वसूली में कमी एफओबी मूल्य के 12.5% तक है

In this context, details of Shipping Bills for the period from 01.04.2014 31.12.2021 based on LEO date where export proceeds have not been realized have been partially realized, is being made available in spreadsheet format Annexures on the website http://www.cochincustoms.gov.in. Annexur contains the Shipping Bills where realization is 'NIL', Annexure-II conta Shipping Bills where realization is short by more than 12.5% of the FOB va and Annexure-III contains the Shipping Bills where realization is short by u 12.5% of the FOB value.

5. बोर्ड के परिपत्र सं. 33/2019-सीमा शुल्क फा.सं. 609/19/2019-डीबीके दिनांक 19 सित 2019 (अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न प्रति) के अनुसार ऐसे मामले जहाँ वसूली में कमी एफ बी मूल्य के 12.5% तक है तथा जिसका कारण विदेशी बैंकों द्वारा काटे गए बैंक शुल्क और निर्यात अनुबंधों को हासिल करने के लिए विदेशों में एजेंटों को दिए गए एजेंसी कमीशन के निर्यातकों को दस्तावेजी साक्ष्य जैसे निर्यात चालान, विदेशी बैंक शुल्कों के बारे में बैंक की पु आदि के संबंध में पुष्टिकरण देने की आवश्यकता होगी।

Such cases where realization is short by upto 12.5% of the FOB value a such short realization is on the account of bank charges deducted by forei banks and/or agency commission paid to agents abroad for securing exp contracts, exporters are required to produce documentary evidence such export invoice, bank's confirmation regarding foreign bank charges etc. to just such deductions in terms of Board's circular no. 33/2019-Customs F.N 609/19/2019-DBK dated 19th September 2019 (copy enclosed as Annexure-A).

6. निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित बैंक के ई डी पी एम एस में निर्यात आ वसूली विवरण को अद्यतन करने के लिए अपने अधिकृत डीलर बैंकों के साथ संपर्क करें ता मिलान के लिए डेटा सीमा शुल्क को प्रेषित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आईसगेट पोर्टल कार्यक्षमता भी उपलब्ध कराई गई है, जहाँ निर्यातक व्यक्तिगत निर्यात शिपमेंट के संबंध में निर्य आय प्राप्ति विवरण को स्वयं सत्यापित कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो सुधार से संबंधि

प्रश्न उठा सकते हैं। शिपिंग बिलवार निर्यात वसूली विवरण के ऐसे सत्यापन/सुधार की प्रक्रिया का विवरण देने वाली एक परामर्शिका भी आईसगेट पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त परामर्शिका की एक प्रति इसके साथ अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न है।

The Exporters are advised to follow up with their authorized dealer banks for updating the export proceeds realization details in the respective bank's EDPMS so that the data is transmitted to Customs for reconciliation. Additionally, functionality has also been made available on the ICEGATE Portal where exporters can themselves verify export proceeds realization details in respect of individual export shipment and raise queries related to rectification required if any. An advisory detailing the process of such verification/rectification of shipping bill wise export realization details has also been made available on the ICEGATE Portal. A copy of said advisory is attached herewith as Annexure-B.

7. अतः, निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त पैरा 5 और 6 में बताए गए बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करें, जिसमे विफल होने की स्थिति पर इस कार्यालय द्वारा ब्याज लगाए जाने के साथ ही वितरित अनर्ह प्रतिअदायगी की वसूली के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

Exporters are, therefore, advised to take necessary actions on the points as brough out in the paras 5 and 6 above within a period of 30 days from the date of publishing of this PN, failing which appropriate action for recovery of ineligible drawback disbursed alongwith interest shall be initiated by this office.

8. इस संबंध में आने वाली किसी भी कठिनाई को तुरंत ही सीमा शुल्क गृह, कोचिन के सीमा शुल्क सहायक आयु,क्त ड्राबैक अनुभाग (बी आर सी) के संज्ञान में लाया जाएं। अनुभाग का ई-मेल-Drawback.cok@nic.in है।

Any difficulties faced in this regard may be brought to the notice of the Assistant Commissioner of Customs, Drawback Section (BRC), Custom House Cochin immediately. The e-mail of the section is drawback.cok@nic.in.

(पी. जयदीप, भा.रा.से. P. JAIDEEP, IRS)
सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

संलग्न Encl: यथोपरि As above.

प्रतिलिपि प्रस्तुत Copy to:

1. मुख्य आयुक्त केंद्रीय एवं सीमा शुल्क तिरूवनंतपुरम जोन।
The Chief Commissioner of Central Tax and Customs, TVM Zone
2. सभी अपर/संयुक्त/ सहायक आयुक्त All Additional/Joint /Assistant Commissioners
3. सी सी बी ए, कोचिन को उनके सदस्यों के मध्य व्यापक रूप से प्रचारित करने हेतु।
CCBA, Cochin for wide circulation among their members
4. ई डी आई अनुभाग (सीमा शुल्क गृह, कोचिन की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु)
EDI section (To upload on the website of Custom House, Cochin)
5. सूचना पट्ट Notice Board
6. कार्यालय प्रति Office Copy